झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 18 फाल्गुन, 1943(श0) / 09 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
16.	अ0सू0–15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	समय का विस्तार	नगर विकास एवं आवास	24/02/22

नोट :– (16) अ0सू0–15, दिनांक– 02 मार्च, 2022 को सदन द्वारा स्थगित।

राँची
दिनांक– 09 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0–(प्रश्न)–04/2020.....1022...../वि0स0, राँची, दिनांक– 07/03/22

प्रति :– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

(संजीत कुमार)
उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0–(प्रश्न)–04/2020.....1022...../वि0स0, राँची, दिनांक– 07/03/22

प्रति :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0–(प्रश्न)–04/2020.....1022...../वि0स0, राँची, दिनांक– 07/03/22

प्रति :– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

Niranjan

05.03.22

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम् (बजट)–सत्र
अल्पसूचित प्रश्न

वर्गः– 3

बुधवार, दिनांक– 18 फाल्गुन, 1943(श0) / 09 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01

(1) नगर विकास एवं आवासः– 01

कुल योग –01

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0	प्रभारी मंत्री
01.	क्या यह बात सही है कि महागामा नगर पंचायत सहित राज्य के सभी नगर पंचायतों के लिए वर्ष-2021-22 में व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रकाशित कर डाक के आधार पर कार्य आवंटन किया गया है ;	1) आंशिक स्वीकारात्मक। महागामा नगर पंचायत, महागामा द्वारा व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रकाशित करते हुए कार्य आवंटन किया गया है। कतिपय निकायों यथा- चाईबासा, धनबाद, मिहिजाम, चाकुलिया, बड़की सरैया, गढ़वा द्वारा प्रवेश शुल्क नहीं वसूले जाने की सूचना दी गई है। अन्य निकायों से सूचना अप्राप्त है।
02.	क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना में सरकार द्वारा लगाये गये लॉक डाउन के कारण गाड़ी का परिचालन नहीं होने से निविदादारों द्वारा राशि की वसूली नहीं कर पाने के कारण उक्त अवधि की राशि माफ करने या समयावधि बढ़ाने का माँग कर रहे है ;	2) आंशिक स्वीकारात्मक कतिपय निकाय यथा- महागामा, बासुकीनाथ, पाकुड़, डोमचाँच एवं चास में कोविड-19 के कारण शुल्क की राशि माफ करने हेतु आवेदन निकाय को प्राप्त हुआ है। अन्य निकायों से सूचना अप्राप्त है।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निविदा में अंकित किये गये समय को छः माह विस्तार करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3) राज्य के सभी निकायों में व्यवसायिक वाहनों के प्रवेश पर शुल्क की वसूली हेतु निविदा निकाले जाने इत्यादि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक- 686, दिनांक- 25/02/2022 द्वारा की गई है। सभी निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शहरी स्थानीय निकायों के आन्तरिक राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए निविदा में अंकित किये गये समय के विस्तार के मामले पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–03

निम्नांकित अल्प–सूचित प्रश्न,बुधवार, दिनांक– 18,फाल्गुन,1943 (श0) ---------- को 09,मार्च, 2022 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
84.	अ0सू0–17	श्री समीर कुमार मोहन्ती	मजदूरी भुगतान।	ग्रामीण विकास	24.02.22
85.	अ0सू0–28	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	मानदेय में वृद्धि।	ग्रामीण विकास	24.02.22
*86.	अ0सू0–19	श्री मथुरा प्रसाद महतो	रोड शुल्क माफ करना।	परिवहन	25.02.22
87.	अ0सू0–40	श्री राज सिन्हा	मुआवजा भुगतान।	परिवहन	04.03.22
#88.	अ0सू0–13	श्री मनीष जायसवाल	राशि खर्च करना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
89.	अ0सू0–36	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	भुगतान खाता में।	ग्रामीण विकास	03.03.22
90.	अ0सू0–16	श्री समीर कुमार मोहन्ती	मेटेरियल उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.22
91.	अ0सू0–18	श्री प्रदीप यादव	एस.आई.टी. का गठन।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.22
Δ92.	अ0सू0–20	श्री बंधु तिर्की	जमीन का अधिग्रहण।	ग्रामीण विकास	25.02.22
93.	अ0सू0–03	श्री बिरंची नारायण	समन्वय स्थापित करना।	नगर विकास एवं आवास	17.02.22
⧖94.	अ0सू0–29	सुश्री अम्बा प्रसाद	ग्रामीण अवसंरचना।	ग्रामीण विकास	28.02.22
95.	अ0सू0–04	श्री बिरंची नारायण	टेन्डर पर रोक।	ग्रामीण कार्य	24.02.22

ग्रामीण कार्य विभाग के ज्ञापांक 416, दिनांक 08/3/22 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित।

क्र0 पृ0 30

01	02	03	04	05	06
96.	अ0सू0–23	श्री राजेश कच्छप	जल संचयन।	ग्रामीण विकास	25.02.22
97.	अ0सू0–37	श्री सरयू राय	साईन बोर्ड।	नगर विकास एवं आवास	04.02.22
98.	अ0सू0–35	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	03.03.22
99.	अ0सू0–38	श्री सुदेश कुमार महतो	सुविधायुक्त आवास निर्माण।	ग्रामीण विकास	04.03.22
100.	अ0सू0–24	श्री सरयू राय	शुल्क वसूली में बदलाव।	पथ निर्माण	27.02.22
101.	अ0सू0–11	डॉ0 लम्बोदर महतो	पंचायत चुनाव।	पंचायती राज	24.02.22

नोट :–

* परिवहन विभाग के ज्ञापांक–189,दिनांक–28.02.22 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

\# ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–676,दिनांक–25.02.22 द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित।

Δ ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–732,दिनांक–28.02.22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

⧖ ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक–755,दिनांक–02.03.22 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक–09 मार्च,2022ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1024/वि0स0,राँची,दिनांक– 07/03/22

प्रतिलिपिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1024/वि0स0,राँची,दिनांक– 07/03/22

प्रतिलिपिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–04/2020–1024/वि0स0,राँची,दिनांक– 07/03/22

प्रतिलिपिः– कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मंगल

(84)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 17 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी से परिवार चलते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। मनरेगा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारिरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे मजदूरों के बैंक खाते में किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि विगत 03 माह से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं होने से मजदूरों के परिवारों को आर्थिक संकट की स्थिति में दिन गुजारना पड़ रहा है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनरेगा मजदूरों की ससमय मजदूरी भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–222/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N)257 राँची, दिनांक 2.3.22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक – 359 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–222/वि0 स0/2022/ग्रा0 वि0 – (N)257 राँची, दिनांक 2.3.22

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/22

सरकार के उप सचिव।

85

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक –09.03.2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्नकर्त्ता का नाम –
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0</th><th>उत्तरदाता का नाम–
श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है NRLM के अंतर्गत JSLPS के तहत कार्यरत IPRP/IBAP के मानदेय में वर्ष 2014 से अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है ?</td><td><u>स्वीकारात्मक</u>

हॉ यह बात सही है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि उपरोक्त IPRP/IBAP को उनके शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर HR Policy से जोड़ना था ?</td><td><u>अस्वीकारात्मक</u>

नही, ये बात सही नही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या सह बात सही है कि IPRP/IBAP का मासिक मानदेय एकमुश्त नहीं दिया जाता है ?</td><td><u>अस्वीकारात्मक</u>
IPRP/IBAP CLF के "ग्रामीण volunteer/सामुदायिक कैडर" हैं जिनको मानदेय एवं अन्य भत्ता नियमानुसार इन संकुल स्तरीय संगठन (CLF) के द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है जिसका विवरण निम्नलिखित है;
<table>
<tr><th>ग्रामीण volunteers (सामुदायिक कैडर) का प्रकार</th><th>मानदेय दर</th><th>CLF द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (प्रतिमाह अधिकतम 26 दिन हेतु)</th><th>क्षेत्र भ्रमण हेतु भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>मोबाईल खर्च भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>कुल (प्रतिमाह)</th></tr>
<tr><td>IPRP</td><td>Rs 500 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 13,000</td><td>Rs 2000</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 16,000</td></tr>
<tr><td>IBAP</td><td>Rs 750 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 19,500</td><td>Rs 2500</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 23,000</td></tr>
</table>
यह राशि प्रतिमाह एकमुश्त इनके खाते में CLF के द्वारा दिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार IPRP/IBAP के मानदेय में वृद्धि एवं HR Policy से जोड़ने तथा एकमुश्त वेतन भुगतान तय करने का विचार रखती है, हॉं, तो कबतक; नहीं तो क्यों?</td><td>अभी IPRP/IBAP के मानदेय में वृद्धि का विचार नही है क्योंकि इनका मानदेय एवं अन्य भत्ते पूर्व से ही DAY NRLM कार्यक्रम में काफी बेहतर हैं।
DAY NRLM कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार IPRP/IBAP सामुदायिका प्रशिक्षक है अतः इन्हें कार्यदिवस के अनुसार भुगतान किया जाता है।
IPRP/IBAP JSLPS के कर्मचारी नहीं है। JSLPS ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आयोजित JSLPS कर्मचारी भर्ती परीक्षा में सफल होने पर ही नियमानुसार JSLPS HR Policy एवं एकमुश्त वेतन का लाभ दिया जा सकता है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/M & E/2022/069 914, **दिनांक– 08/03/2022**

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभी सचिवालय को उनके ज्ञापांक–728/वि0स0 दिनांक–28.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–09.03.2022 को श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्री मथुरा प्रसाद महतो,* माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता *श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,* परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	*क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के शिक्षण संस्थानों संचालित वाहन Covid-19 के दौरान परिपूर्ण रूप से बाधित हो गए थे;*	–	स्वीकारात्मक।
2	*क्या यह बात सही है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्र/छात्राओं की आवगमन में सुविधा हेतु नाम मात्र शुल्क लेकर वाहनों का संचालन किया जाता है;*	–	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं के आवागमन में सुविधा हेतु छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क निर्धारण में परिवहन विभाग की सहभागिता नहीं है।
3	*क्या यह बात सही है कि उक्त अवधि में शिक्षण संस्थान एवं संस्थान से संबंधित सभी वाहनों का परिचालन परिपूर्ण रूप से नहीं होने के कारण कई संस्थानों के वाहनों का रोड शुल्क बकाया है;*	–	स्वीकारात्मक।
4	*यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित वाहनों का बकाया रोड शुल्क माफ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?*		राज्य सरकार के द्वारा जनहित में मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 15(i)–सह–पठित धारा 23 के परन्तुक के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–2276, दिनांक–20.11.2020 के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण हुई लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए अपरिचालित स्कूल बसों के लिये दिनांक–24.03.2020 से 20.12.2020 तक पथकरों की छूट प्रदान करने का निर्णय संसूचित है। इस अधिसूचना के तहत आवेदित स्कूल बसों की कर माफी की गयी है। 2. विभागीय पत्रांक–104, दिनांक–05.02.2021 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार दिनांक–21.12.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में अपरिचालित स्कूल बसों के पथकर छूट सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा शपथ पत्र एवं जिला परिवहन पदाधिकारी की जाँच संतुष्ट होने के आधार पर करने का निर्देश निर्गत है। 3. Covid-2.0 समयावधि में अपरिचालित स्कूली बसों के अनुमान्य पथकर माफीनामा हेतु नीति निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

8/3/22
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–39/2022 228 /राँची,दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–633, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)– 39/2022 228 /राँची,दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

(87)

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

दिनांक–09.03.2022 को श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–40 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्री राज सिन्हा,* माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता *श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,* परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना लागू है और इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों या जान गंवाने वालों को मुआवजा राशि दी जाती है;	–	**स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य में हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना लागू है और इसके तहत दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों को रू 12,500/– तथा जान गंवाने वालों के परिजनों को रू 25,000/– का मुअवाजा राशि दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में पिछले पाँच वर्षों में किसी नागरिकों या उनके परिजनों को इसका लाभ नहीं दिया गया है;	–	**अस्वीकारात्मक।** पिछले पाँच वर्षों में कुल 548 पीड़ितों को लाभ मिल चुका है। इसकी लगातार समीक्षा की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि योजना के प्रचार–प्रसार के अभाव में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पिछले पाँच सालों में ना तो घायलों को और ना ही जान गंवाने वालों के परिजनों को इसका लाभ मिल पाया है;	–	**अस्वीकारात्मक।**
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो जिलावार आँकड़ा क्या है तथा क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?		"आपके अधिकार–आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान भी हिट एंड रन के मामलों का नियमानुसार निष्पादन करते हुए योग्य लाभुकों को उनका चेक उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय जिला पदाधिकारी को दिया गया। इस दौरान कुल 271 मामालों का निष्पादन करते हुए मुआवजा दिलवाया गया।

8/3/22

सरकार के अवर सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–45/2022 ......227....../राँची, दिनांक...08/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–945, दिनांक–04.03.2022 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22

सरकार के अवर सचिव

परिवहन विभाग।

(88)

माननीय स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 13 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदान राशि के रूप में राज्य के ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष– 2020–21 में 1266.75 करोड़ व चालू वित्तीय वर्ष में 187.35 करोड़ रूपये राशि गाँवों के विकास हेतु उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अबतक सरकार द्वारा सिर्फ 542.23 करोड़ रूपये राशि मात्र ही खर्च हुई है जो कुल राशि का लगभग 37 प्रतिशत है;	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में अनाबद्ध एवं आबद्ध अनुदान मद में ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 1266.75 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 468.375 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है। उक्त रूप से विमुक्त कुल राशि 1735.125 करोड़ रूपये में से ग्राम पंचायतों द्वारा अबतक कुल 1391.906 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है जो कुल राशि का 80 प्रतिशत है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित राशि से हजारीबाग को ग्राम पंचायतों के विकास हेतु कुल– 83.18 करोड़ रूपये राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई परन्तु विभागीय पदाधिकारियों की शिथिलता के कारण अबतक मात्र 29.52 करोड़ रूपये राशि ही खर्च हुई है जो उक्त अनुदान राशि का लगभग मात्र 35 प्रतिशत ही है तथा पूरे राज्य में उक्त अनुदान राशि की अबतक की खर्च के आंकड़े को देखने पर सरकार की जनता के प्रति असंदेनशीलता स्पष्ट होती है;	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में अनाबद्ध एवं आबद्ध अनुदान मद में हजारीबाग जिले में अवस्थित ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 72.451 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26.81 करोड़ रूपये अर्थात कुल 99.261 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है जिसके विरूद्ध अबतक 75.594 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है जो कुल विमुक्त राशि का 76 प्रतिशत है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में हजारीबाग सहित राज्य के सभी जिलों में खण्ड–01 में वर्णित राशि का खर्च करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–13/2022 – 434 /, राँची, दिनांकः– 7.3.22

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 361 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–13/2022– 434 /, राँची, दिनांकः– 7.3.22

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

7/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–13/2022– 434 /, राँची, दिनांकः– 7.3.22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/3/22
सरकार के उप सचिव।

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

89

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० – 36 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्या, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा योजनान्तर्गत कुँआ एवं अन्य योजनाओं में मजदूरी का भुगतान लाभुक के खातों में किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा योजना अन्तर्गत मजदूरों द्वारा किये गये कार्य के एवज में मजदूरी भुगतान सीधे सम्बन्धित मजदूरों के खाते में किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि मैटेरियल का पैसा लाभुक के खातों में न डालकर मैटेरियल सप्लायर (भेंडर) के खाते में भुगतान किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार के Annual Master Circular 2020-21 (Para - 7.1.7 - c and n) के अनुसार मनरेगा योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं यथा – तालाब, कुआँ, IHHLs इत्यादि के लिये आवश्यक सामग्री का क्रय लाभुक द्वारा भी सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा तय किये गये दर पर किसी भी भेण्डर, जिसके पास GSTN Number हो, से किया जा सकता है तथा भुगतान सीधे लाभुक के खाते में करने का प्रावधान है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मेटेरियल का पैसा लाभुक के खाते में डालने का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13 (B) –233 / वि०स० / 2022 / ग्रा०वि० (N) 306 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 871 / वि०स० दिनांक 03.03.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13 (B) –233 / वि०स० / 2022 / ग्रा०वि० (N) 306 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

सरकार के उप सचिव।

(90)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० – 16 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि मनरेगा Vendor की ससमय भुगतान न होने के कारण मनरेगा मेटेरियल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे मनरेगा के कार्य प्रभावित हो रहे है;	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में सामग्री मद में कुल 63235.00 लाख अब तक खर्च किया जा चुका है जो कि गत वित्तीय वर्ष में व्यय हुए राशि 48872.00 लाख से 14363.00 लाख अधिक है। उपरोक्त से विदित होगा कि मनरेगा योजनाएँ सुचारू रूप से चल रही है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 457163 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मनरेगा मेटेरियल की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13 (B) –220/वि०स०/2022/ग्रा०वि० (CN) 299 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 358/वि०स० दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 8/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13 (B) –220/वि०स०/2022/ग्रा०वि० (CN) 299 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रंजीत रंजन 8/3/22

सरकार के उप सचिव।

(91)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–18 का उत्तर प्रतिवेदन

क्रम सं०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार चतरा एवं रामगढ़ जिला में क्रमशः 47 करोड़ एवं 120 करोड़ रुपये की निकासी बिना शौचालय निर्माण किये ही विभिन्न एजेन्सी एवं संस्थाओं द्वारा कर ली गयी है;	अस्वीकारात्मक जिला जल एवं स्वच्छता समिति, **चतरा** द्वारा VWSC/SHG को कुल 133679 अदद् शौचालयों के निर्माण के निमित रु० 160.4148 करोड़ अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरूद्ध रू0 149.6664 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमंडल को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष रु० 10.7484 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण 89 अदद् VWSC/SHG पर Certificate Case की कार्रवाई की गई है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति, **रामगढ़** द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं विभिन्न SHG को कुल 92,168 शौचालयों के निर्माण हेतु रु० 110.6016 करोड़ अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरूद्ध रु० 109.6236 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण प्रमंडल को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानीय जिला प्रशासन के प्रारंभिक जाँच में अतिरिक्त राशि की निकासी को सही पाया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ओ0डी0एफ0 घोषित राज्य के सभी जिलों में बिना शौचालय बनाये राशि की निकासी के मामले उजागर हुए है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी जिलों में अलग–अलग उच्च स्तरीय SIT गठित कर इसकी जाँच एवं दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/वि०स०अल्प सूचित प्रश्न –51/2022 – 169 दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० 634/वि० स० दिनांक–25.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2022
संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ०पृ०उ० 2

ज्ञापांकः– SBM(G)/वि०स०अल्प सूचित प्रश्न –51/2022 – 169 दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र०–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/2022

संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(92)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य सम्पोषित योजना, PMGSY एवं अन्यमदों से झारखण्ड राज्य के विभिन्न आबादी वाले ग्रामों को पक्का सम्पर्क पथ का निर्माण किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इन पथों के निर्माण के लिए रैयती जमीन के लिए मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि अब भी कई ग्रामों के सम्पर्क पथ का निर्माण पथ के रेखांकन में रैयती प्लॉट आने के कारण पथ निर्माण कार्य अधूरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सिमडेगा जिला में PMGSY-I अंतर्गत मात्र दो पथ रैयती जमीन समस्या के कारण लंबित है, जिसे मार्च–2022 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आने वाले दिनों में झारखण्ड राज्य स्थित आबादी वाले ग्रामों के लिए पक्का सम्पर्क पथ प्रदान करने के लिए पथ रेखांकन में पड़ने वाले रैयती जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य संपोषित योजना अथवा PMGSY योजना के तहत् निर्मित होने वाले पथ के रेखांकन में पड़ने वाले रैयती जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा देने का प्रस्ताव सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)– 138 / 2022 ग्रा0का0वि0 410 राँची, दिनांक 08–03–2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–635 दिनांक–25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–138 / 2022 ग्रा0का0वि0 410 राँची, दिनांक 08–03–2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–138 / 2022 ग्रा0का0वि0 410 राँची, दिनांक 08–03–2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22
सरकार के उप सचिव।

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०– 03 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ छावनी परिषद के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में निवास करने वाली बड़ी आबादी को संविधान के 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय नगर स्वशासन का लाभ नहीं मिल रहा है;	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ छावनी परिषद के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में निवास करने वाली बड़ी आबादी को संविधान के 74वें संशोधन के अन्तर्गत स्थानीय नगर स्वशासन का लाभ मिल रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ छावनी परिषद के अन्तर्गत रैयती भूमि पर निवास करने वाले नागरिकों को झारखण्ड भवन निर्माण नियमावली का लाभ नहीं मिल रहा है;	स्वीकारात्मक। रामगढ़ छावनी क्षेत्र में छावनी परिषद भवन निर्माण नियमावली लागू है।
3	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ छावनी परिषद द्वारा पारित नए बिल्डिग बायलॉज का अब तक मंजूरी नहीं मिलने के कारण शहर का विकास बाधित है;	अस्वीकारात्मक। छावनी परिषद, रामगढ़ के द्वारा छावनी परिषद भवन निर्माण नियमावली के तहत नक्शे की स्वीकृति दी जा रही है, जिससे शहर का विकास हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित स्तर से समन्वय स्थापित करके कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	छावनी परिषद, रामगढ़ भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, छावनी परिषद रामगढ़ का पत्रांक–B/IV/GEN/2021-22 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित भवन निर्माण नियमावली छावनी परिषद रामगढ़ से स्वीकृत कराकर प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, मध्य कमान, लखनऊ का स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03 / न०वि० / अल्पसूचित–01 / 2022–818 दि०–04/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके पत्रांक–87, दिनांक–17.02.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/2022
सरकार के अवर सचिव।

E:\AJIT\Vidhan Sabha Question & Answer.docx_201

(94)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के लगभग 75% जनता ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान, ग्रामीणों की आय में वृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन हेतु आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बल देने की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास हेतु प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है जो कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवम् सुदृढ़ीकरण हेतु अपर्याप्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास हेतु आवंटित की जाने वाली 20 किलोमीटर अधिसीमा को बढ़ाकर ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष विभाग को उपलब्ध कराये गये बजटीय उपबंध के आधार पर ही पथों के निर्माण हेतु विभागीय नीति निर्धारित की जाती है। PMGSY-III, के अन्तर्गत ग्रामीण पथ उन्नयन हेतु झारखण्ड राज्य के लिए आवंटित लम्बाई 4125 कि0मी0 निर्धारित है जिसमें राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड से लगभग 20 कि0मी0 सड़के लिया जाना है। आवंटित लम्बाई बढ़ाने हेतु भारत सरकार ही सक्षम प्राधिकार है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)– 148 / 2022 ग्रा0का0वि0 423 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–727 दिनांक–28.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–148 / 2022 ग्रा0का0वि0 423 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–148 / 2022 ग्रा0का0वि0 423 राँची, दिनांक 08-03-2022

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8/3/22

सरकार के उप सचिव।

(95)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–04" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पी0डब्लू0डी0 रोड, क्लाउज 163 (ए) में टेंडर, बिल ऑफ क्वांटिटी के 10 प्रतिशत तक कम में Quote करने का प्रावधान है ; 2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में Maximum Below 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कम में टेंडर डाला जा रहा है, जिससे कार्य के पूर्ण होने की संभावना भी काफी कम है और कार्य की गुणवत्ता भी काफी प्रभावित हो रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये कंडिका–01 में वर्णित नियम के अनुसार 10 प्रतिशत से ज्यादा कम रेट में टेंडर डालने से रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड लोक निर्माण संहिता, 2012 की कंडिका–163 (ए) को संकल्प संख्या–2146(S) दिनांक–09.09.2020 द्वारा विलोपित किया गया है। सम्प्रति अब न्यूनतम दर की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। कम दर के कारण कार्य के पूर्ण नहीं होने की संभावना एवं गुणवत्ता के प्रभावित होने की शिकायत नहीं है। कम दर के निविदाओं के Safeguard हेतु 10% से नीचे की निविदाओं में Additional Performance Security का प्रावधान किया गया है। अतः वर्त्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार ही निविदा के कार्य किए जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–07 / 2022 951(5) राँची / दिनांक : 08/03/22

प्रतिलिपिः– श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 364 दिनांक 24.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

सुनील 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–07 / 2022 951(5) राँची / दिनांक 08/03/22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / एवं उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची को उनके पत्रांक–416 दिनांक–08.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित् ।

सुनील 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–07 / 2022 951(5) राँची / दिनांक : 08/03/22

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 08/3
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(96)

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 23 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क एवं नाली का निर्माण किया जाता है परन्तु नाली के जल का निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नहीं की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड – 1 में वर्णित निस्तारण की व्यवस्था नहीं करने के कारण बरसात के दिनों में नाली का गंदा पानी का फैलाव सड़कों पर हो जाती है, जिससे गंदगी फैल जाती है, जिवाणु–विषाणु जानलेवा मच्छड़–कीट आदि जन्म लेकर मानव जीवन को खतरे में डालती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड– 1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर जल संचयन (Water Harvesting) करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यो ?	मनरेगा अन्तर्गत अब तक जल संचयन (Water Harvesting) हेतु कुल 56210 सोख्ता गढ़ढा एवं कुल 18018 Roof Top Rain Water Harvesting Structure की योजना ली गयी है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–232 / वि0 स0 / 2022 / ग्रा0 वि0 – (N) 303 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 637 दिनांक 25.02.2022 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–232 / वि0 स0 / 2022 / ग्रा0 वि0 – (N) 303 राँची, दिनांक 8-3-22

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/22

सरकार के उप सचिव।

(97)

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–37 का उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में लगनेवाले पथों एवं मुहल्लों के नाम के साईन बोर्डों पर मुख्यमंत्री और मंत्री का नाम अंकित करने का निर्णय नहीं लिया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पथों और मुहल्लों के नाम वाले सैकड़ों साईन बोर्ड लगाया है, जिनपर स्वास्थ्य मंत्री का नाम प्रमुखता से अंकित है;	अस्वीकारात्मक। विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पत्रांक–783, दि०– 07.03.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में बस्तीसूचक पट्ट का अधिष्ठापन जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा नहीं कराया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि 2015–19 के बीच जेएनएसी ने ऐसे ही सैकड़ों साईन बोर्ड जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लगाये, जिन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम अभी भी अंकित है, जबकि ऐसे साईन बोर्ड जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगे;	स्वीकारात्मक। विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पत्रांक–783, दि०– 07.03.2022 से सूचित किया गया है कि तत्कालीन माननीय विधायक, जमशेदपुर पूर्वी, विधान सभा से बस्तीसूचक पट्ट अधिष्ठापन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में साईन बोर्ड लगाया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बतायेगी कि ऐसे साईन बोर्ड राज्य के कितने नगरपालिकाओं में लगाये गये हैं, इसके लिए भेदभावपूर्ण आदेश किसने दिया है और समय के साथ इन पर अंकित संदेश के विषयवस्तु में संशोधन नहीं करने का कारण क्या है ?	विभागीय पत्रांक–852 दिनांक–07.03.2022 से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को अविलंब उपर्युक्त प्रकार के साईन बोर्डो पर से पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्री/विधायक का नाम हटाने का निदेश दिया गया है। राज्य के अन्य नगरपालिकाओं में ऐसे साईन बोर्ड लगाये जाने की सूचना प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/न०वि०/अल्पसूचित–02/2022–857 दि०– 08/03/22

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के उनके पत्रांक–943, दिनांक–04.03.2022 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/2022

सरकार के अवर सचिव।

98

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक –09.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि 2018 ई० में सिलाई का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद 1600 महिलाएं झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तत्वाधान में गठित स्वयं सहायता समूह फूलो झानो सखी मंडल से जुड़कर सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पोशाक एवं अन्य वस्तुएं तैयार कर अपना जीवन यापन कर रही है?	2018 में अडानी CSR के द्वारा 1019 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था, इसके उपरांत जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें फूलो झानो सखी मंडल से जोड़ने बोला गया । JSLPS द्वारा गठित फूलो झानो सखी मंडल में केवल 12 महिलाएं ही जुडी है, जिसके तत्वाधान में 1019 महिलायें मिलकर सिलाई कार्य कर रही है
2	क्या यह सही बात है कि जिला प्रशासन द्वारा 5 वर्षों तक स्कूलों में पोशाक आपूर्ति हेतु किये गये एम०ओ०यू० करने के पश्चात उक्त सखी मंडल द्वारा एक लाख पचहत्तर हजार बच्चों के पोशाक सिलाई करने के उपरांत वर्तमान समय तक सिलाई की राशि के लिए दर–दर की ठोकर खाने को मजबूर है?	स्कूलों में पोशाक आपूर्ति हेतु शिक्षा विभाग एवं फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल के बीच एम०ओ०यू० हुआ है, इसमें जे०एस०एल०पी०एस० का कोई भूमिका तय नहीं किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार फूलो झानो सखी मंडल से जुड़े महिलाओं को बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बकाया राशि का भुगतान शिक्षा विभाग, गोड्डा के स्तर से संबंधित है। बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण इस समूह का बैठक नहीं हो रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/M & E/2022/070/ 906. **दिनांक–** 08/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभी सचिवालय को उनके ज्ञापांक–872/वि0स0 दिनांक–09.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

(संजय कुमार पाण्डेय)
सरकार के सयुंक्त सचिव।

(99)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पौने दो लाख गरीब परिवारों के पास कोई घर या छत नहीं है।	**आंशिक स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले में से आधे परिवार एक कमरे के कच्चे मकान में रहते हैं।	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3	क्या यह बात सही है कि गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों के सुन्दर आवास निर्माण के लिए 3 लाख रूपये दिये जाने की सरकार की योजना है।	**अस्वीकारात्मक** • प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास निर्माण के लिए IAP जिलों में रूपये 01 लाख 30 हजार तथा Non IAP जिलों में रूपये 01 लाख 20 हजार प्रति ईकाई की दर से आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। • प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिन नये आवासों की स्वीकृति दी जायेगी, उन आवासों में सरकार द्वारा बजट भाषण में एक अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए रूपये 50 हजार देने की घोषणा की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों के सुन्दर आवास निर्माण हेतु 3 लाख रूपये दिये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों।	

08.03.2022
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–15/2022– 910, राँची, दिनांक :– 08/03/2022
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

08.03.2022
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–15/2022– 910, राँची, दिनांक :– 08/03/2022
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

08.03.2022
सरकार के अवर सचिव।

(100)

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–09.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–24" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राज्य पथों का उपयोग करनेवाले व्यवसायिक वाहनों से वसूले जानेवाले प्रयोक्ता शुल्क (User free) का नये सिरे से निर्धारण करने के लिए 16.09.2021 को एक गजट अधिसूचना प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार वाहनों के आवागमन पर 1200/– रूपये वसूला जाएगा; 2. क्या यह बात सही है कि खनन क्षेत्रों में खनिजों की ढुलाई करनेवाले वाहनों से यह शूल्क खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा चालान/ई–चालान निर्गत करने की प्रणाली से वसूला जाएगा; 3. क्या यह बात सही है कि वाहन छोटा हो या बड़ा, उसपर लदे माल का वजन कम हो या ज्यादा, उसके द्वारा तय की जानेवाली दूरी कम हो या अधिक सभी से आने–जाने का 1200/– रूपया समान प्रयोक्ता शुल्क ई–चालान के माध्यम से अग्रिम वसूला जाएगा; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसी अतार्किक शुल्क वसूली में बदलाव कर इसे तार्किक एवं नियम संगत बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–2843(s) दिनांक–16.09.2021 एवं राजपत्र में दिनांक–26.10.21 के प्रकाशन द्वारा सड़क के निर्माण/मरम्मति के लिए व्यवसायिक वाहनों से " to and fro" basis पर खान एवं भूतत्व विभाग माध्यम द्वारा Mineral Carrying Vehicle से user fee संग्रहण का प्रावधान किया गया है। यह रू0 600/– "for each way" है। पुनः अधिसूचना सं0–553(s) दिनांक–17.02.2022 द्वारा 9 (नौ) टन से कम भार ढोने वाले व्यवसायिक वाहन को user fee से मुक्त किया गया है। राज्यहित् में राजस्व की प्राप्ति हेतु खनन् विभाग द्वारा प्रभृत प्रणाली के माध्यम से उक्त user fee संग्रहण का प्रावधान किया जाता है। यह online प्रक्रिया है। अतएव राज्य सरकार द्वारा कृत प्रावधान प्रक्रियात्मक रूप से सरल है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2022 893(5) **राँची/दिनांक :** 05/03/22

प्रतिलिपिः– श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 670 दिनांक 27.02.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

05/3
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2022 893(5) **राँची/दिनांक :** 05/03/22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

05/3
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2022 893(5) **राँची/दिनांक :** 05/03/22

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

05/3
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(101)

माननीय स0वि0स0 डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा दिनांक 09.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 11 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2020 में झारखण्ड राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायत निर्वाचन नहीं होने से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। भारत के संविधान की धारा 243 (E) तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की सुसंगत धाराओं द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल उनके गठन के पश्चात प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक निर्धारित है। झारखण्ड में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2021 में समाप्त हो गया है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कार्य संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पंचायतों के दायित्वों के समग्र निर्वहन के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया है ।
(2) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां पूर्ण है। तथा आयोग द्वारा कार्यक्रम व अनुशंसा प्राप्त होते ही राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची– 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–11/2022 ——427——/, राँची, दिनांकः–4.03.2022

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 366 दिनांक 24.02.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–11/2022——427——/, राँची, दिनांकः–4.03.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

3/3/22
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–11/2022——427——/, राँची, दिनांकः–4.03.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/22
सरकार के उप सचिव।